

कुशलता उन्नयन और महिला कयर योजना के लिए परिचालन मार्गनिर्देश

1. प्राक्कथन

- 1.1 कयर उद्योग मज़दूरों पर और निर्यात पर आधारित उद्योग है , जहाँ सात लाख मज़दूर काम करते हैं जिनमें ज़्यादातर महिलाएँ हैं । बिना प्रशिक्षण के सूत बुनकर और कारीगर जो मूल्य वर्धित उत्पाद तैयार करते हैं उनसे कयर उद्योग में विकेन्द्रीकरण प्रचालन होता है , जिसके कारण उत्पाद में वांछित गुण नहीं मिलता। निम्न गुण उद्योग के विकास में बाधा पहुँचाती है , खासकर जब यह पारंपरिक उत्पाद है ,जहां सस्ते सिन्थेटिक मौजूद है और सार्वभौम और उदारीकरण का भी सामना करना पड़ता है । इसलिए दक्षता उन्नयन उद्योग के सार्वभौम विकास के लिए और गैर पारंपरिक क्षेत्रों में उद्योग को गति देने के लिए ज़रूरी पूर्वापेक्षा है ।
- 1.2. कयर उद्योग में उचित प्रशिक्षण कार्यक्रमों द्वारा दक्ष मानवशक्ति का विकास कयर बोर्ड की प्रमुख गतिविधियों में से एक है । कुछ उत्पादों के गुण को बनाए रखने के लिए निरंतर सुधार की ज़रूरत होती है, ताकि कयर उत्पादों की मांग पूरी की जा सके । यही नहीं गुण पर ध्यान दे रहे इस दुनिया में कयर उत्पादों की संभावनाओं पर भी ध्यान देना पड़ता है । इन लक्ष्यों को पाने के लिए बोर्ड गुणता सुधार कैंप और उद्यमकर्ता विकास कार्यक्रमों का आयोजन करता है ।
- 1.3. कयर उद्योग में कार्यरत 80% मजदूर महिला एँ हैं, खासकर पूर्व-उत्पाद क्षेत्र में । वर्ष 1994 से महिला कयर योजना कयर बोर्ड द्वारा कार्यान्वित पहली महिला आधारित स्वरोजगार पद्धति है । इस परियोजना के तहत ज़रूरी राइट/मशीनरी को खरीदने के लिए 75% सब्सिडी दी जाती है ।
- 1.4. प्रशिक्षण और गुणता सुधार कार्यक्रमों में महिला कयर योजना भी आती है जो चालू केंद्रीय क्षेत्र योजना का एक भाग है और XI वीं से XII वीं योजना में जारी रहती है । इसे स्वतंत्र एजन्सि द्वारा मूल्यांकित किया जाएगा । मूल्यांकन रिपोर्ट में बताए गए सिफ़ारिशों के अनुसार एवं दक्ष मानव शक्ति की मांग के अनुसार मौजूदा योजना के कुछ प्राचलों को सुधारा गया है । आगे के अनुच्छेदों में XII वीं योजना में कार्यान्वित की जाने वाली दक्षता सुधार एवं महिला कयर योजना रूपरेखा की जानकारी दी गई है ।

2. योजना

2.1. "कुशलता सुधार और महिला कयर योजना" परियोजना के दो भाग हैं , (क) कुशलता उन्नयन (ख) महिला कयर योजना ।

इस योजना के लक्ष्य इस प्रकार हैं :

- प्रयवेक्षक/अनुदेशक/आदि संवर्ग के कार्मिकों को प्रशिक्षित करना और कयर उद्योग के विकास के लिए दक्ष मानव शक्ति की ज़रूरत को पूरा करना ।
- कयर कर्मचारियों की कुशलताओं को विकसित करने के साथ गैर पारंपरिक क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण में सहायता देना ।
- महिला कयर योजना के तहत कयर यार्न , कयर संसाधन उपकरण , मशीनरी आदि के लिए 75% सब्सिडी प्रदान करना ।
- देहाती महिला कारीगर जो कयर रेशा उत्पादन क्षेत्र में काम करते हैं , उन्हें स्वरोजगार प्रदान करना ताकि उत्पादकता एवं गुणों के सुधार के आधार पर बेहतर आमदनी मिलें । उन्हें काम करने की बेहतर माहौल प्रदान करें और कताई एवं उत्पाद निर्माण में शामिल कड़ी मजदूरी को दूर करें ।
- उद्यमकर्ता विकास कार्यक्रमों के तहत पारंपरिक और गैर पारंपरिक क्षेत्रों में नए उद्यमकर्ताओं को प्रोत्साहित करें ताकि कयर उद्योग और व्यापार में प्रवेश पा सकें और इस प्रकार मौजूदा और नए क्षेत्रों में उद्योग के विकास को तीव्र करें ।
- शुरुआत में ही मजदूरों को गुणता के प्रति सजग बनाएँ और उन्हें गुणात्मक तन्तु , सूत और उत्पादों के सही तरीके सिखाएँ ।
- नारियल उगाने वालों , उद्यमकर्ताओं आदि में जागरूकता पैदा करें ताकि कयर आधारित एककों की स्थापना करें और मौजूदा एककों को बेहतर उत्पादकता , गुण एवं कमाई के लिए उसे आधुनिक बनाएँ ।
- नारियल उत्पादित राज्यों के देहाती इलाकों में रोजगार पैदा करना ।

3. नोडल एजेंसि

3.1. कयर बोर्ड , कोच्ची एक नोडल एजेंसि है । योजनाओं को बोर्ड के क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय/प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा कार्यान्वित की जाएगी। इस योजना को कयर बोर्ड द्वारा अनुवीक्षण किया जाएगा और फीडबैक (महीने/तिमाही/अर्ध-वार्षिक और वार्षिक रिपोर्टों) बोर्ड के मुख्यालय द्वारा सूक्ष्म , लघु और मध्यम उद्यम

मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाएगा । जहाँ भी ज़रूरत पड़े केंद्रीय कयर अनुसंधान संस्थान और केन्द्रीय कयर प्रौद्योगिकी संस्थान एवं कयर उद्योग के विकास एवं संवर्धन हेतु कार्यरत अन्य संस्थाओं द्वारा तकनीकी सहायता दी जाएगी ।

3. योजना कार्यान्वयन

4. 4.1. कुशलता उन्नयन

4.1.1. कयर उद्योग एक पारंपरिक उद्योग है , जहाँ 8 लाख मजदूर काम करते हैं , जिसमें से 80% महिलाएँ

हैं । नारियल का उत्पादन गैर पारंपरिक क्षेत्रों तक फैलने के कारण पिछले कई सालों से नारियल छिल्कों की मांग बहुत बढ़ गई है , चूंकि नारियल छिल्कों के बढ़ते उत्पादन को कार्मिकों की आमदनी बढ़ाने और आर्थिक विकास के लिए उपयोग किया जा सकता है। नारियल उद्योग का गैर पारंपरिक क्षेत्र में बढ़ावा महत्वपूर्ण बनता है । नारियल पैदावार के पारंपरिक और गैर पारंपरिक क्षेत्रों में दक्ष कार्मिकों को प्रशिक्षित करने के लिए "दक्षता उन्नति को रूपांतरित किया गया है ।

4.1.2. कयर बोर्ड कयर उद्योग में काम कर रहे कारीगर एवं मजदूरों को कयर के संसाधन के लिए प्रशिक्षण देंगे । यह प्रशिक्षण "राष्ट्रीय कयर प्रशिक्षण एवं अभिकल्पना केंद्र, कलवूर, आलेप्पी और शोध एवं विस्तार केंद्र, तंजावूर, बोर्ड के भिन्न क्षेत्रीय केंद्र और उप क्षेत्रीय केन्द्रों के क्षेत्र प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा दिया जाएगा । कयर मजदूरों की सुविधानुसार बोर्ड क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेगा । कयर से संबन्धित कामों में लगे एनजीओ/सहकारिता समितियां/ संगठन ,एस एफ़ यू आर टी क्लस्टर/एस पी वी आर द्वारा क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा ।

4.1.3. कयर बोर्ड द्वारा प्रशिक्षण केन्द्रों में इन -हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और विशेष रूप से अभिविन्यास प्रशिक्षण के लिए होता है । यह प्रशिक्षण व्यापार और उद्योग के अनुरोध पर आयोजित की जाती है। इस प्रशिक्षण में सरकार द्वारा प्रायोजित एजेंसियों को स्टार्टपेंड नहीं दिया जाता है। अनुबंध - 1 में कयर बोर्ड के प्रशिक्षण कार्यक्रमों की जानकारी दी गई है । उद्योग की जरूरतों के अनुसार कयर बोर्ड भिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों की अभिकल्पना करेगी । दिए जाने वाली जरूरतों के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रमों की अवधि निर्धारित की जाएगी ।

4.1.4. कुशलता विकास कार्यक्रमों के लिए प्रति प्रशिक्षक की स्टैपेंड प्रति महीने 1000/- रु. तक ही होगी और जहां प्रशिक्षण एक महीने से कम अवधि की है स्टैपेंड यथानुपात दिया जाएगा । प्रशिक्षक को प्रति महीने 6000/- का मानदेय दिया जाएगा । प्रशिक्षण के कच्चा माल , विद्युत शुल्क , अन्य आकस्मिकों के लिए प्रशिक्षण प्रायोजित एजन्सि को प्रति व्यक्ति के लिए 400/- रु. की वित्तीय सहायता दी जाएगी । यह प्रायोजित एजन्सि के स्वप्रमाणित व्यय के प्रमाणीकरण के आधार पर दी जाएगी । इसे क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा सत्यापन के बाद भुगतान किया जाएगा । कयर बोर्ड द्वारा प्रायोजित क्षेत्र स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा हाजिर पंजी सत्यापित करे के बाद यथो अनुपात स्टैपेंड निर्धारित की जाएगी । इसे प्रशिक्षक एवं प्रायोजित एजन्सि निर्धारित करेगी । सभी प्रासंगिक दस्तावेजों के क्षेत्रीय या उप क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा सत्यापित करने के बाद स्टार्टपेंड वितरित किया जाएगा । उन्हें प्रायोजित संस्थाओं एवं प्रशिक्षक द्वारा परिचय प्रमाणपत्र दिया जाएगा । यह स्टैपेंड लेखा के भुगतान के लिए क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाएगा ,

स्टैपेंड प्रशिक्षणार्थी के खाते में, डाला जाएगा। प्रशिक्षकों की मानदेय एवं अन्य खर्चों को ई भुगतान या क्रास चेक द्वारा प्रशिक्षण एजन्सि को दी जाएगी।

4.1.5. एनसीटी और सी में प्रशिक्षकों का चयन विज्ञापन द्वारा, कयर उत्पादित राज्यों के अधिकारियों के सिफ़ारिश द्वारा किया जाएगा। प्रशिक्षकों को चुनने के लिए कयर बोर्ड की आधिकारिक समिति बनाई जाएगी। नियमित पाठ्य पद्धति के लिए लिखित परीक्षा के बाद प्रशिक्षकों का चयन किया जाएगा। ओरिएंटेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए उम्मीदवारों को कयर बोर्ड उद्योग पंजीकरण नियम 2008 के आधार पर राज्य सरकार/एनजीओ/शैक्षिक संस्थाएं शोध संस्थाओं द्वारा प्रायोजित किया जाता है। व्यापार संगठन, एकक मालिक, उद्योग विभाग, एनजीओ, एसएफ़यूआरटीआई क्लस्टर एसपीवीएस सहकारिताएं ओपन फोरम के विज्ञापन द्वारा केंद्र प्रभारी द्वारा प्रशिक्षकों को चुना जाएगा।

4.1.6. क्षेत्र स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए प्रशिक्षण प्रायोजित एजेंसि का चयन कयर बोर्ड के क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। एजेंसि को नियुक्त करने के पूर्व निर्धारित प्रपत्र में (अनुबंध 11) प्रायोजित एजेंसि द्वारा आशवासन दी जाएगी। आवेदनों के चयन के बाद नियमों के अनुसार प्रायोजित एजन्सि एवं क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय अधिकारी के बीच समझौता किया जाएगा। प्रायोजित एजन्सि उम्मीदवार का पूरा नाम बैंक, नया फोटो (2 प्रतियां), पहचान पत्र, चुनाव कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड/प्राधिकृत अधिकारी संस्थाओं द्वारा/आ.जा./आ.ज.जा./पीडबल्यूडी दें। साहबी मामलों में चुनाव पहचान पत्र/आधार कार्ड पूछा जा सकता है। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद जारी किए गए प्रमाण पत्र में फोटो लगाई जाएगी और दूसरा संदर्भ हेतु कार्यालय में रखी जाएगी। कयर बोर्ड द्वारा मानदण्ड के आधार पर परीक्षा आयोजित करने के बाद क्षेत्रीय/उप केंद्रीय अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र वितरित किया जाएगा।

4.1.7. गृह प्रशिक्षण कार्यक्रम कयर बोर्ड और शोध संस्थाओं के तकनीकी कार्मिकों द्वारा चलाई जाएगी। कुछ मामलों में जरूरत के अनुसार काम बाहर कारवाई जा सकती है। राष्ट्रीय कयर प्रशिक्षण एवं अभिकल्पना केंद्र द्वारा सिद्धांत और अभ्यास परीक्षाएं चलायी जाएगी और आरडीटीई के निदेशक अनुमोदन के उपरांत परिणाम प्रकाशित की जाएगी।

4.1.8. प्राधिकृत अधिकारी के अनुमोदन के बाद मानदेय के आधार पर खास अध्ययन के लिए अध्यापकों को चुना जा सकता है। राष्ट्रीय कयर प्रशिक्षण और अभिकल्पना केंद्र, कलवूर, आलपुषा में चलाये जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम आरडीटीई, निदेशक के पर्यवेक्षण में होगा और क्षेत्रीय कार्यालय/उप क्षेत्रीय कार्यालय और क्षेत्रीय विस्तार केंद्र द्वारा चलाए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम सीधा क्षेत्रीय अधिकारियों के पर्यवेक्षण में होगा। प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम और महिला कयर योजना के मामले में अभ्यास परीक्षा केंद्र के तकनीकी अधिकारी द्वारा दी जाएगी और सचिव, कयर बोर्ड के पक्ष में क्षेत्रीय अधिकारियों और उप केंद्रीय अधिकारियों के अनुमति से प्रमाण पत्र वितरित किया जाएगा।

4.1.9. अध्यक्ष कयर बोर्ड की अनुमति से क्षेत्रीय अधिकारी और निदेशक आरडीटीई विशेषीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेंगे। निदेशक आरडीटीआई के साथ सलाह मशवरा करके एवं अध्यक्ष के अनुमोदन से विशेषीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित की जाएगी। क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय

अधिकारियों द्वारा सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरे किए प्रशिक्षणार्थियों की सूची से प्रशिक्षणार्थियों का चयन किया जाएगा ।

4.1.10. प्रशिक्षण के लिए आधारभूत सुविधाएं : कयर क्षेत्र में कुशलता उन्नयन के लक्ष्यों को पाने के लिए प्रशिक्षण हेतु सही सुविधाएं उपलब्ध कराना, प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण संस्था शुरू करने की ज़िम्मेदारी कयर बोर्ड द्वारा स्वतंत्र रूप से या फिर राज्य विश्वविद्यालय/ राज्य सरकार आदि द्वारा की जाएगी । इस में प्रशिक्षण के लिए मशीनरी, उपकरण व घुलने के लिए इस्तेमाल टंक आदि खरीदना शामिल है । इस घटक के लिए खर्च उसके वार्षिक बजट के निर्धारण के अनुसार सीमित की जाएगी ।

4.2 उद्यमकर्ता विकास कार्यक्रम, अध्ययन दौरा, जागरूकता कार्यक्रम, कार्यशाला और राष्ट्रीय संगोष्ठी

4.2.1. उद्यमकर्ता विकास कार्यक्रम (ईडीपी)

उद्यमकर्ता विकास कार्यक्रम चलाने का विवरण इस प्रकार है:

- (i) लक्ष्यकृत कार्यक्रमों के आधार पर क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा उद्यमकर्ता विकास कार्यक्रम आयोजित किए जाएँगे । कयर बोर्ड के क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय अधिकारी प्रोफेशनल एजन्सियों को चुनेंगे जिनको ईडीपी आयोजित करने की अनुभव है । क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय अधिकारी ई डी पी चलाने के लिए एजन्सि के साथ समझौता करेंगे ।
- (ii) क्षेत्रीय स्तर के प्रेस विज्ञापन द्वारा एजन्सि संभावित उद्यमकर्ताओं को आमंत्रित करेगी । उप क्षेत्रीय अधिकारियों से सलाह करके एजन्सि ज़रूरी अध्ययन सामग्री तैयार करेगी । कयर बोर्ड द्वारा बताए गए नियमों के अनुसार एजन्सि तकनीकी सत्र चलाने के लिए संकाय को बाहर से बुलाएगी ।
- (iii) ई डी पी के अंत में पास के नारियल संसाधन केंद्र का दौरा आयोजित की जाएगी । इसके लिए दूसरी श्रेणी बस/ट्रेन का यात्रा भत्ता के लिए 50% सहायता दी जाएगी और एजेन्सि शेष के लिए प्रतिभागियों से या अन्य स्रोतों से इकट्ठा करेगी ।
- (iv) ईडीपी की अवधि 3 दिन की होगी जिसमें निम्नलिखित विषय होंगे :
 - क. उद्यमकर्ता प्रेरणा
 - ख. उद्योग की स्थापना
 - ग. कयर आधारित उद्योग
 - घ. वित्त और वित्तीय प्रबंधन की व्यावस्था करना
 - ङ. घरेलू बाज़ार ज़रूरतें
 - च. बिक्रीकारी
 - छ. औद्योगिक नियम और नियमन
 - ज. कयर में संघ पद्धति और क्लस्टर नेटवर्किंग
 - झ. परियोजना तैयारी और दाम विश्लेषण
 - ञ. कयर उद्योग में ज़ीरो-वेस्टेज अवधारणा
 - ट. निर्यात बाज़ार विश्लेषण
 - ठ. व्यक्तित्व विकास और भरोसा बढ़ाने का अनुभव

ड. एम एस एवं एम ई मंत्रालय और कयर बोर्ड द्वारा कार्यान्वित योजनाओं पर जागरूकता, जैसे पीएमईजीपी , आरजीयूएमवाई , सीयूवाई , डीपीआईएसएफ़यूआरटीआई आदि

- (v) अनुबंध IV में दिए गए ब्यौरे के अनुसार ई डी पी का व्यय 60,000/- तक सीमित की जाएगी, ई डी पी चलाने के लिए संदर्भ अनुबंध III में दी गई है ।
- (vi) जो लोग ईडीपी के तहत प्रशिक्षण ली है उन्हें एम सी वाई , सी यू वाई आदि की सुविधा पाने के लिए आवेदन पत्र दिए जाएँगे और एजन्सि यह सुनिश्चित करें कि कम से कम 40% प्रतिभागी उद्यमकरता बनें ।

4.2.2. दौरा और अवबोध कार्यक्रम

कयर संसाधन केन्द्रों के संभावित उद्यमकर्ता और कारीगरों की सुविधा के लिए दौरा कार्यक्रम आयोजित की जाएगी जहाँ वे कयर उद्योग में कार्यरत एककों एवं अन्य कयर उत्पादन केन्द्रों का दौरा करेंगे । उद्यमकर्ताओं के लिए बोर्ड द्वारा भत्ता रकम का 50% की दूसरी श्रेणी का रकम एवं कारीगरों के लिए जो कयर संसाधन केन्द्रों में कार्यरत है उन्हें सहकारिता समिति/स्वयं सहायक संगठन/ एन जी ओ या राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित उम्मीदवारों को वास्तविक खर्च की दूसरी श्रेणी के खर्च दिया जाएगा । यात्रा समय को मिलाकर दौरे का समय पाँच दिवस होगा । अनुबंध IV में दिए गए विवरण के अनुसार बस का/ट्रेन का खर्च , सेवा शुल्क , अन्य राज्यों में सफर करने के लिए पर्मिट ,टोल कर आदि 75,000/- तक सीमित किया जाएगा ।

कयर बोर्ड की योजनाओं को समझाने के लिए साधारण जनता के लिए एक अवबोध कार्यक्रम आयोजित की जाएगी । इस अवबोध कार्यक्रम का व्यय 26,000/- तक सीमित की जाएगी, अनुबंध IV के अनुसार ।

4.2.3 कार्यशाला

अनुबंध-IV में दिए गए विवरण के अनुसार कार्यशाला चलाने के लिए व्यय 50,000/- रु. तक सीमित किया जाएगा ।

4.2.4 राष्ट्रीय संगोष्ठी

अनुबंध-IV में दिए गए विवरण के अनुसार कार्यशाला चलाने के लिए व्यय 2,00,00/- रु. तक सीमित किया जाएगा ।

4.3. महिला कयर योजना

यह योजना उन ग्रामीण महिला कारीगरों को स्वयं रोज़गार के अवसर प्रदान करने के लिए है जो नारियल के छिल्के के संसाधन में लगे हैं । पिछले दो दशकों में भारत में कयर तंतु की उत्पादन बढ़ा है । रस्सी तंतु की उत्पादन बढ़ा है । रस्सी तंतु को सूत में परिवर्तित करने से बड़े पैमाने पर रोज़गार की संभावना है, उत्पादन में बढ़त, रस्सी तंतु में सुधार काम करने के बेहतर अवस्थाएँ , उच्च आमदनी आदि देहाती कारीगरी महिलाओं के जीवन स्तर को बेहतर बनाती हैं इस योजना के तहत यंत्रिकृत राट का वितरण/यांत्रिकृत पारंपरिक राट/सूत कातने के लिए कताई रस्सी सूत , सूत कातने के लिए उपकरण और महिला कारीगरों के लिए मूल्य वर्धित उत्पाद के वितरण पर विचार करती हैं । इस योजना के तहत एक घर से

एक ही कारीगर को सहायता मिलेगी। अनुबंध V में महिला कयर योजना के लिए सहायिकी के लिए आवेदन प्रपत्र दिया गया है ।

4.3.2 बोर्ड के प्रशिक्षण केंद्रों से रस्सी सूत के कताई का प्रशिक्षण पूरा किए महिला कार्मिकों को कम दाम में कताई उपकरण प्रदान की जाएगी | भिन्न कताई उपकरण प्राप्त करने के लिए दी जानेवाली सहायिकी इस प्रकार है।

क्रम सं	मशीनरी	हितभोगी सहयोग	अधिकतम सहायिकी
1	मोटरी कृत रैट	रकम का 25%	7,500/- (75% खरीद दाम या 7,500/- जो कम है)
2	मोटरीकृत पारंपरिक रैट	रकम का 25%	3,200/- (75% खरीद दाम या 3200/- जो भी कम है)
3	इल्क्ट्रोणिक राट	रकम का 25%	3,200/- (75% खरीद दाम या 3200/- जो भी कम है)

सहायिकी के तहत यंत्रिकृत राट/ यंत्रिकृत पारंपरिक रैट आई एस स्तर का होनी चाहिए।

4.3.3. महिला प्रशिक्षण कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न किए गए महिला उम्मीदवारों को बोर्ड निम्नलिखित मशीनरी प्रदान करेगा | उपकरण के दाम का 75% सहायिकी प्रस्तावित है मशीनरी का अधिकतम रकम 7500/- है बाकी का फंड हितभोगी को जुटाना होगा।

क्रम सं	मशीनरी आईटम	सूचक दाम रु में	अधिकतम सहायिकी
1	अनुग्रहा लूम को रस्सी जी ओ टेक्सटाईल और मेटिंग के कताई लिए	45,000	7500
2	कोटन हैडलूम कताई मशीन जनता मेट्रेस के निर्माण के लिए सामग्री	45,000	7500
3	विलोयिंग मशीन	35,000	7500
4	सभी प्रकार के फेम मैट का निर्माण एस एस डाई वैट 10 किलो-1 नं सेलम चर्खा(2 सेट)	45,000	7500
5	वज्रा(अकेला स्वचालित कताई)	45,000	7500
6	ब्रश निर्माण यूनिट गूथे वयर के साथ	45,000	7500
7	हैड प्रेस गार्डन आर्टकेल्स बतानेवाले	50,000	7500

	यूनिट		
8	कयर वुड से बने चीज़ों का निर्माण यूनिट	50,000	7500
9	कयर पिथ कंपोसिट अन्य सामग्रियों के साथ	50,000	7500
10	कयर हैडीक्राफर और आभूषण निर्माण यूनिट हाई वेट को मिलाकर	50,000	7500
11	कयर बैग/छतरी/ जैकेट/ चप्पल कर्टन आदि	50,000	7500
12	कयर क्राफ्ट आर्टिकल तैयार करने के यूनिट	50,000	7500
13	हस्तचालित डैरियंग/ब्लीचिंग इकाई	50,000	7500
14	मेट/मेटिंग यूनिट	50,000	7500
15	किचन गार्डन यूनिट किट (कयर पिथ के उपयोग से) संबद्धित सामान के साथ	10,000	7500
16	कोको पोल एड घडा निर्माण यूनिट	50,000	7500
17	बोर्ड द्वारा विकसित या अनुमोदित कोई अन्य यूनिट जिससे महिला उद्यमकर्ताओं के लिए रोजगार मिल	सही मूल्यांकन के बाद बोर्ड दाम तय करेगी	मशीनरी का 75% दाम अधिकतम 7500/-

4.3.4 महिला कयर योजना सौदा के लिए कयर बोर्ड क्षेत्रीय अधिकारी/ उप क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा अलग बैंक खाता खोला है जो महिला कयर योजना हितभोगी है वह अपने राष्ट्रीयकृत इलाके के बैंक/डाकघर में अलग खाता खोलेगे। बोर्ड के कार्यान्वयन कार्यालय हितभोगी के पास बुक और चेक बुक रखा जाएगा। हितभोगी अपनी इच्छानुसार मशीन निर्माता से मोटरीकृत रैट / इलेक्ट्रोणिक राट और अन्य मशीनरी किट के आपूर्ति का बीजक इकट्ठा करेंगे। क्षेत्री अधिकारी बोर्ड के मुख्यालय को सिफारिश और हितभोगी सहयोग का प्रस्ताव अग्रेषित करेंगे ताकि मोटरीकृत/ मोटरीकृत पारंपरिक /इलेक्ट्रोणिक रैट और 4.3.2 और 4.3.3 में बताए गए अन्य मशीनरी चीज़ें खरीदा जा सकें मुख्यालय संवीक्षा और सत्यापन के बाद सक्षम प्राधिकार का मंजूरी पाएंगे ताकि क्षेत्रीय /उप क्षेत्रीय कार्यालय को उपयुक्त सहायिकी छुड़ाएं इसके बाद मशीन निर्माता हितभोगी को मशीनरी की आपूर्ति करेगा। मशीनरी चीज़ों का क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय अधिकारी हितभोगी को बेचे गए मशीनरी को उपयुक्त सहायिकी छुड़ाएंगे

मशीनरी निर्माता अकाउंड पेयी चेक/डी डी ओन लाइन हस्तांतरण द्वारा रकम इकट्ठा करेगा | बोर्ड यह सुनिश्चित करें कि हितभोगी को मशीनरी पूर्ति करनेवालों को चयन करने की आज़ादी है बशर्ते यह कयर बोर्ड की सहायिकी सीमा में हो |

4.3.5. महिला कयर योजना जो कि राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित एजेंसी , कयर औद्योगिक सहकारिता का शीर्षस्थ निकाय , कयर कार्मिक कल्याण फंड बोर्ड , सरकार पी एस यू आदि द्वारा कार्यान्वित हो , हितभोगी द्वारा चुने गए उपकरण के लिए 4.3.2 एवं 4.3.3 में बताए गए अनुदान राशि का सीलिंग संबंध राज्य सरकार द्वारा क्रमशः राज्य सरकार को सूचित करते हुए संगठन को वचन दी जाएगी | सहायिकी राशि के लिए उपयोगी प्रमाण पत्र जो कि राज्य सरकार या संगठन द्वारा संगठन को पहुँचाया गया है , बोर्ड द्वारा हितभोगी की सूची और अन्य दस्तावेज़ उपकरण का निष्पादन प्रमाण पत्र मशीन निर्माताओं से बीजक , वे हितभोगी द्वारा पावती आदि द्वारा पाया जाएगा | कयर बोर्ड का क्षेत्रीय अधिकारी/उप क्षेत्रीय अधिकारी अपूर्ति किए गए मशीनरी /उपकरण की फील्ड स्तर जाँच करेंगे|

4.3.6 योजना के तहत मंजूरीकृत सहायिकी हितभोगी द्वारा पुनः प्राप्त किया जाएगा|

(i) जहाँ गलत तथ्य या गलत सूचना द्वारा योजना के तहत सहायता प्राप्त की गई है या सहायता की अवधि तीन साल के भीतर जहाँ मशीनरी का एकक के परिसर को अन्य चीज़ों के लिए उपयोग किया गया हो |

(ii) जहाँ एकक उत्पादन के शुरू होने की तारीख से तीन साल के अंदर सक जाती है , जहाँ एकक में छोटी अवधि के लिए उत्पादन कर सकती है , और यह नियंत्रण के परे छह महीने तक हो जाती है, कच्चे माल की कमी विद्युत , प्राकृतिक आपदाओं आदि का कारण |

4.3.7 संयुक्त निदेशक (योजना)/ कयर बोर्ड के वरिष्ठ लेखा अधिकारी द्वारा योजना का नियमित अनुवीक्षण कर एमएसएमई मंत्रालय को रिपोर्ट दी जाएगी|

5. भोजन की व्यवस्था आदि मदों के लिए कयर बोर्ड व्यय विभाग के नियम , खरीद और आर्थिक अनुदेश के लिए जी एफ आर नियम का पालन करेगी|

कुशलता उन्नयन और महिला कयर योजना के लिए कार्यकारी अनुदेश

(क) कुशलता विकास

1. "कुशलता विकास और महिला कयर योजना में दो प्रमुख घटक हैं (अ) कुशलता विकास (आ) महिला कयर योजना इस योजना को XII वीं योजना के बाकी सालों के लिए भी कार्यान्वित की जाएगी ।
2. इस योजना को XI वीं योजना के बाकी सालों के लिए भी कार्यान्वित की जाएगी ।
3. सी सी आर आई /सी आई सी टी और कयर उद्योग के विकास में लगे अन्य संस्थाएँ जहाँ जरूरत हो तकनीकी सहायता देगी
4. बोर्ड के क्षेत्र कार्यालय/उप कार्यालय के लिए रखे गए रकम उन्हीं के लिए ही उपयोग किया जाए और रकम को अन्य कार्यक्रम के लिए उपयोग न किया जाए
5. कुशलता बढ़ाव के अर्तगत बारहवीं योजना में निम्नलिखित कार्यक्रम का अनुमोदन हैं।
अ) प्रशिक्षण आ) ई डी पी इ) अवबोध कार्यक्रम ई)अध्ययन दौरा उ) राष्ट्रीय संगोष्ठी/कार्यशाला ऊ) महिला कयर योजना
6. प्रशिक्षणार्थी को प्रति महीने दिए जानेवाले रु 1000/- बैंक द्वारा प्रशिक्षणार्थी के नाम पर क्रोस किया गया चेक क्षेत्रीय अधिकारी/उप क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा दिया जाएगा । प्रशिक्षकों को दी जानेवाली मानदेय क्षेत्रीय अधिकारी/ उप क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा बैंक पोस्ट आफिस से चेक सं व दिनांक का रसीद दिखाकर प्रायोजित एजेंसी को प्रतिपूर्ति की जाएगी
7. प्रशिक्षण की प्रचालनात्मक दाम जिसमें कच्चा माल, विद्युत शुल्क, अन्य खर्च आदि है इसे प्रायोजित एजेंसी द्वारा स्व प्रमाणित प्रमाणीकरण से प्रस्तुत करने पर बैंक/डाका घर द्वारा इसकी प्रतिपूर्ति की जानी चाहिए और इसे क्षेत्रीय अधिकारी/उप क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाएगा प्रशिक्षण के दौरान सूत/उत्पादों का कुल मात्रा और निपटान का ब्यौरा क्षेत्रीय अधिकारी के प्रामाणीकरण में दी जानी चाहिए
8. नियमानुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम को चलाने के लिए प्रायोजित एजेंसी और क्षेत्रीय अधिकारी /उप क्षेत्रीय अधिकारी के बीच समझौता किया जाना चाहिए
9. प्रायोजित एजेंसी को उम्मीदवारों का पूरा पता, हाल ही में लिया गया फोटो (2 प्रति) और चुनाव परिचय पत्र/शशन कार्ड /आधार कार्ड/ पान कार्ड ,प्राधिकृत सरकार एजेंसियों से/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ पी डब्ल्यू डी से पहचान का प्रमाणीकरण दिया जाना चाहिए सभी मामलों में पहचान पत्र पूछा जाना चाहिए और कोई खास मामले में ही अन्य पहचान पत्र स्वीकृत किया जाए
10. प्रशिक्षण के बाद प्रमाणपत्र में एक फोटो लगानी चाहिए और दूसरा मुख्यालय भेजी जानी चाहिए
11. क्षेत्रीय अधिकारी/ उप क्षेत्रीय अधिकारी हाजिर पंजी को सत्यापित करें और उसके आधार पर यथो अनुपात वृत्तिका का रकम निर्धारित किए जाए इसे प्रशिक्षक एवं प्रत्यायोजित

द्वारा एजेंसी प्रमाणित किया जाना चाहिए और क्षेत्रीय अधिकारी एवं उप क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा प्रति प्रमाणित किया जाना चाहिए

12. वृत्तिका का दस्तावेज़ प्रायोजित एजेंसी और प्रशिक्षक द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए और क्षेत्रीय अधिकारी एवं उप क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाना चाहिए
13. संगोष्ठी/कार्यशाला/ई डीपी/गुणता जागरूक कार्यक्रम आदि में व्यय स्वीकृत बजट में ही होनी चाहिए प्रत्येक कार्यक्रम के खत्म होने के बाद, चलाए गए कार्यक्रम का रिपोर्ट फोटो सहित, प्रतिभागियों की सूची, व्यय का ब्यौरा बिल ,रसीद आदि को आयोजक या क्षेत्रीय अधिकारी/उप क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा प्रमाणित कर पेशगी के लिए मुख्यालय भेजी जानी चाहिए

(बी) महिला कयर योजना

14. प्रत्येक उम्मीदवार को एम सी वाई योजना के तहत एम आर/एम टी आर/ इलेक्ट्रॉनिक राट्ट और अन्य मशीनरी /उपकरण दिया जाएगा।
15. एम टी आर /एम आर /इलेक्ट्रॉनिक राट और अन्य उपकरण/ मशीनरी उन्हीं को दिया जाएगा जो प्रशिक्षण कार्यक्रम में सफल हुए हैं ।
16. हितभोगी जिसे योजना के तहत चुना गया है वह एम टी आर/एम आर/ इलेक्ट्रॉनिक राट और अन्य उपकरण/ मशीनरी को खरीदने के लिए वित्तीय एजेंसी/ संस्था से उधार/ गेंट लिए है। उन्हीं के पास इन्हें गिरवी रखें ।
17. हितभोगी को प्राधिकृत अधिकारी को योजना के अंतर्गत सहायिकी देने के लिए विनिर्देशन , मशीनरी का दाम ,वित्त एवं राशि का स्रोत से संबंधित रिकोर्ड उपलब्ध कराना है ।
18. कयर बोर्ड से सहायता एक बार की सहायिकी होगी जो एम आर/ एम टी आर/इलेक्ट्रॉनिक राट का दाम की 75% होगा । इसमें यंत्रिकृत राट के लिए अधिकतम दाम 7500/- होगा और पारंपरिक राट /इलेक्ट्रॉनिक राट का दाम 3200/- होगा । अन्य मशीनरी के मामले में अधिकतम सीलिंग 75% होगा और मशीनरी की अधिकतम दाम 7500/- होगा बाकी का दाम हितभोगी को खुद इंतजाम करना होगा ।
19. महिला कयर योजना के लेन- देन के लिए क्षेत्रीय अधिकारी/ उप क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा अलग बैंक खाता खोलना होगा ।
20. महिला कयर योजना का हितभोगी अपनी इलाके के निर्धारित बैंक/ डाकघर के हितभोगी का पासबुक और चेक बुक बोर्ड के कार्यान्वयन कार्यालय में रखा जाएगा ।

21. निर्माताओं द्वारा आपूर्ति किया गया मोटर/ स्पेर पार्टस वी आई एस द्वारा निर्धारित विनिर्देशन के आधार पर हो ।
22. हितभोगी अंशदान को अलग खाते में जमा करें क्षेत्रीय अधिकारी या उप क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा हितभोगी के इच्छावाले मशीनरी निर्माता वे बीजक के साथ 25% और हितभोगी अंशदान 25% अदायगी इकट्ठा किया जाएगा क्षेत्रीय अधिकारी या उप क्षेत्रीय अधिकारी हितभोगी के अदायगी का ब्यौरा मुख्यालय भेजेगा ताकि 75% सहायिकी रकम इकट्ठा किए जाए और मुख्यालय संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी/ उप क्षेत्रीय अधिकारी योजना के नियमों के अनुसार सहायिकी हितभोगी के खाते में जमा करेगा ।
23. क्षेत्रीय अधिकारी/ उप क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा मुख्यालय से मंजूरी पत्र और सहायिकी रकम मिलने के बाद , मशीनरी निर्माता हितभोगी को मशीन की आपूर्ति करेगा । इसके बाद उपकरण के स्तर और निष्पादन को कयर बोर्ड के अधिकारियों द्वारा जांच की जाएगी ।
24. क्षेत्रीय/ उप क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा मशीनरी के जाँच के बाद और हितभोगी से निष्पादन प्रमाणपत्र आपूर्तिकार से निष्पादन गारंटी का बिल/ रसीद प्राप्त करने के बाद क्षेत्रीय अधिकारी/ उप क्षेत्रीय अधिकारी हितभोगी के खाते में सहायिकी रकम जमा करेगा।
25. मशीन निर्माता तुरंत ही अकाउंट पेयी/ चेक/डी डी या ओनलाइन ट्रांसफर के माध्यम से रकम इकट्ठा करेगा । प्रशिक्षण के पूरे होने के दो महीने के अंदर बोर्ड हितभोगी को मशीनरी की आपूर्ति करेगी।
26. क्षेत्र अधिकारी/ उप क्षेत्रीय अधिकारी व्यय विवरण के साथ उपयोगिता प्रमाणपत्र निपटान हेतु मुख्यालय को भेजेगा ।
27. क्षेत्रीय कार्यालय/ उप क्षेत्रीय कार्यालय के तकनीकी अधिकारी मशीनरी का जाँच करेंगे, अध्यक्ष कयर बोर्ड जहाँ भी जरूरत है इसका निर्णय लेंगे।
28. यदि मशीनरी निर्माता द्वारा मशीनरी के आपूर्ति के लिए कोई देरी होती है तो निर्माता को दिया गया आदेश रद्द किया जाएगा , उनको नए सूची से निकाल दिया जाएगा या नियमानुसार कार्रवाई दी जाएगी।
29. एक समिति जिसमें संयुक्त निदेशक सी सी आर आई/ सी आई सी टी और नामित क्षेत्र अधिकारी और बोर्ड के लेखा विभाग के अधिकारी मशीनरी के दाम का पुनरीक्षण करेंगे ताकि दाम का अंतिम रूप तय हो और यह अध्यक्ष कयर बोर्ड के अनुमोदन के साथ हों ।

अनुबंध

अनुबंध-1

प्रशिक्षण कार्यक्रम का ब्यौरा

क्रम सं	प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम	नियमित या अल्पकालिक	कार्यक्रम की अवधि	वृत्तिका
अ	नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम			
1	उच्च प्रशिक्षण कार्यक्रम	नियमित	12 महीने	हाँ
2	कारीगर प्रशिक्षण कार्यक्रम	नियमित	6 महीने	हाँ
आ	उष्मायन प्रशिक्षण कार्यक्रम			
3	कयर कार्पेटों का निर्माण	अल्पकालिक	1 महीने	हाँ
4	लूम मैटों का निर्माण	अल्पकालिक	2 महीने	हाँ
5	विरंजन, रंगाई शेड मैचिंग	अल्पकालिक	1 महीने	हाँ
6	कयर मैटिंग का निर्माण	अल्पकालिक	2 महीने	हाँ
7	कयर कंपोसिट का निर्माण	अल्पकालिक	1 महीने	हाँ
8				हाँ
9	स्वचालित कताई मशीन पर कताई	अल्पकालिक	1 महीने	हाँ
10	रबड बैकड कयर उत्पादों का निर्माण	अल्पकालिक	1 महीने	हाँ
11	रेशा उपचार प्रक्रिया	अल्पकालिक	15 दिन	हाँ
12	कयर और कयर उत्पादों की जाँच	अल्पकालिक	15 दिन	हाँ
13	कयर मशीनरी का मरम्मत	अल्पकालिक	1 महीने	हाँ
14	मोटरीकृत/मोटरीकृत पारंपरिक इलेक्ट्रॉनिक राट पर कताई	अल्पकालिक	2 महीने	हाँ
15	फेम मैट का निर्माण	अल्पकालिक	2 महीने	हाँ
16	कयर हस्ताशिल्प का निर्माण	अल्पकालिक	2 महीने	हाँ
17	पिथ कंपोसिट और ब्लोक बनाना	अल्पकालिक	1 महीने	हाँ
18	कयर ब्रश और बागवानी चीज़ों का निर्माण	अल्पकालिक	1 महीने	हाँ
19	गैर पारंपरिक उत्पादों का निर्माण और प्रयोग	अल्पकालिक	2 महीने	हाँ
20	कयर संसाधन में बहिस्रावी अभिक्रिया	अल्पकालिक	1 महीने	हाँ
21	स्वचालित कताई	अल्पकालिक	1 महीने	हाँ
22	महीन सूत की कताई	अल्पकालिक	1 महीने	हाँ
23	रेशे का जैव मृदूकरण	अल्पकालिक	15 दिवस	हाँ

24	अनुग्रहा लूम की बुनाई	अल्पकालिक	1 महीने	हाँ
25	अनुपम लूम की बुनाई	अल्पकालिक	1 महीने	हाँ
26	हस्तशिल्प और कयर गहनों का निर्माण	अल्पकालिक	2 महीने	हाँ
27	जनता मेट्रस और बैग, यू वी प्रोटेक्शन छतरी आदि का निर्माण	अल्पकालिक	1 महीने	हाँ
28	कयर लकड़ी से उपहार चीज़ों का निर्माण	अल्पकालिक	1 महीने	हाँ
29	मोल्डड बागवानी चीज़ें	अल्पकालिक	1 महीने	हाँ
30	कयर पिथ खाद और घर बागवानी निर्माण	अल्पकालिक	1 महीने	हाँ
31	महिला कयर योजना के अंतर्गत महिलाओं द्वारा संचालित करने वाले उपकरणों द्वारा बुनाई/कताई/मूल्य वर्धित उत्पाद	अल्पकालिक	1 महीने	हाँ
ग	प्रशिक्षकों का प्राशिक्षण कार्यक्रम			
32	कयर हस्तशिल्प में प्रशिक्षकों का प्राशिक्षण कार्यक्रम	अल्पकालिक	1 महीने	हाँ
33	कयर मशीनरी के रख रखाव पर प्राशिक्षण कार्यक्रम	अल्पकालिक	1 महीने	हाँ
34	प्रशिक्षकों का पुनश्चर्या प्राशिक्षण कार्यक्रम	अल्पकालिक	1 महीने	हाँ

घ	क्षेत्र प्राशिक्षण कार्यक्रम			
35	मेट निर्माण के लिए उदय लूम	अल्पकालिक	महीने 1	हाँ
36	अनुग्रहाअनुपम/ हथ करघा	अल्पकालिक	महीने 1	हाँ
37	उपकरण/मशीनरी का रखरखाव	अल्पकालिक	1महीना	हाँ
38	कयर हस्तशिल्प, आभूषण, खिलौना आदि का निर्माण	अल्पकालिक	2महीना	हाँ

39	जनता मेट्रेस, कयर बैग यू/वी सुरक्षा छतरी चप्पल आदि	अल्पकालिक	1महीना	हाँ
40	फ्रेम मेट पर प्रशिक्षण	अल्पकालिक	1महीना	हाँ
41	कयर पिथ कंपोस्ट निर्माण और घर बागवानी तैयार करना	अल्पकालिक	1महीना	हाँ
42	कयर की बयो सोफ्टनिंग	अल्पकालिक	15दिवस	हाँ
ड	अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम			
43	अभिमुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम	अल्पकालिक	15दिवस	हाँ
44	मान्यकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम	अल्पकालिक	15दिवस	हाँ

नियमित कार्यक्रमों के अलावा, निम्नलिखित कुशलता कार्यक्रम भी चलाया जाता है:-

- (i) कयर मेट, मेटिंग फील्ड प्रशिक्षण केंद्रों में आदि की कताई/बुनाई पर प्रशिक्षण पी एस यू /सहकारिता समितियाँ/एन जी ओ /स्वयं सेवी संगठन के सहयोग से कयर उत्पादन राज्यों के संभावित क्षेत्रों के प्रशिक्षण ।
- (ii) कयर सहकारिता समितियों के कार्मिक/क्राफ्ट अध्यापक /राज्य सरकार कर्मचारियों के लिए खास प्रशिक्षण कार्यक्रम ।
- (iii) जेल की कैदी और जनजातीय इलाकों में कयर निर्माण के लिए खास कार्यक्रम ।
- (iv) राष्ट्रीय अभिकल्पना संस्था के सहयोग से नई अभिकल्पना, पैटर्न और कयर के विविध उपयोग के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम ।

(2) तंजावूर तमिलनाडु में कयर बोर्ड का क्षेत्रीय विस्तार केन्द्र ,आंध्रप्रदेश के राजमुद्री का क्षेत्रीय कार्यालय , उडीसा में भुवनेश्वर कर्नाटका में पोल्लाची ,,क्षेत्रीय स्तर पर कयर उद्योग को विकसित करने के लिए प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम ,अभिमुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम, ऊष्मायन कार्यक्रम आदि चलाते है :

क्रम सं	प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम	नियमित या अल्पकालिक	अवधि	स्टाईपेड दिया जाना चाहिए या नहीं
1	कयर मेटिंग्स का निर्माण	अल्पकालिक	महीना 1	हाँ
2	स्वचालित कताई मशीन पर कताई	अल्पकालिक	महीना 1	हाँ
3	रेशा उपचार प्रक्रिया	अल्पकालिक	महीना 1	हाँ
4	कयर मशीनरी की मरम्मत	अल्पकालिक	महीना 1	हाँ
5	यंत्रिकृत /यंत्रिकृत परंपरागत/	अल्पकालिक	महीने 2	हाँ

	इलाक्ट्रॉनिक रैट पर कताई			
6	फ्रेम मैट का निर्माण	अल्पकालिक	महीने 2	हाँ
7	कयर हस्तशिल्पआभूषण का निर्माण /	अल्पकालिक	महीने 2	हाँ
8	प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम	अल्पकालिक	महीने 1	हाँ
9	कयर मशीनरी के मरम्मत पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम	अल्पकालिक	महीने 1	हाँ
10	अभिमुखीकरण प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	अल्पकालिक	दिन 15	हाँ
11	महिला कयर योजना के तहत महिलाओं द्वारा चलाए जानेवाले कताई बुनाई एवं/ उपकरण मूल्य जोड उत्पादों का उत्पादन	अल्पकालिक	महीने 2	हाँ

(3)क्षेत्रीय कार्यालय/उप क्षेत्रीय कार्यालय, राज्य सरकार एजेंसियों द्वारा कयर सहकारिता समितियाँ, एन जी ओ स्वयं सेवी संगठन आदि द्वारा क्षेत्र प्रशिक्षण कार्यक्रम किया जाएगा ।

क्रम सं	प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का नाम	प्रशिक्षण का किस्म	अवधि	स्टाईपेड दिया जाना चाहिए या नहीं
1	2प्ले X 3 प्ले रस्सी सूत के उत्पादन के लिए मोट्टरीकृत /मोट्टरीकृत पारंपरिक /इलेक्ट्रॉनिक राट पर कताई	क्षेत्र स्तर	दो महीनों तक पारंपरिक क्षेत्रों में अवधि एक महीना की जाए	हाँ
2	कयर जियो टेक्सटाईल्स फ्रेम माट, माटिंग कारपेटे का उत्पादन आदि	क्षेत्र स्तर	2महीना	हाँ
3	कयर पिथ कंपोसिट	क्षेत्र स्तर	15दिन	हाँ
4	कयर हस्तशिल्प/आभूषण	क्षेत्र स्तर	2महीना	हाँ

सूचना :समयानुसार बोर्ड प्रशिक्षण की अवधि बढा या घटा सकती है और शोध और विकास के आधार पर प्रशिक्षण के लिए नए क्षेत्र जोड भी सकती है।

अनुबंध ॥

प्रशिक्षण प्रायोजक एजेंसी द्वारा कुशलता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का वचन

मेंश्रीका पुत्ररहता हूँ)पूरा पता (मेसर्स
.....)प्रायोजित एजेंसी का नाम (की तरफ से)दिनांक (को
निम्नलिखित ब्यौरा कयर बोर्ड को प्रस्तुत कर रहा हूँ ।

1. प्रायोजक का नाम :
2. प्रधान प्रायोजक स्वयं सेवी संगठन,एन जी ओ का नाम और पता :
दूरभाष/फैक्स/ई मेल सहित :
3. उम्मीदवार का संख्या :
4. अवधि और प्रशिक्षण का किस्म :
5. प्रशिक्षण के लिए कच्चे माल का
आधार /स्थानीय रूप में उपलब्ध/ खरीदे जाने वाले :
6. विद्युत कनेक्शन की जानकारी :
7. प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध मशीनरी :
8. क्या प्रशिक्षित उम्मीदवारों को प्रायोजकों के युनिट में रोजगार
दिया जाएगा :
9. यदि स्वयं युनिट शुरू कर रहे हैं,प्रस्तावित यूनिट का किस्म :
10. क्या प्रशिक्षणार्थियों के पास इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधा है(जानकारी दें) :
11. नहीं तो, मूल इंफ्रास्ट्रक्चर प्राप्त करने का तरीका दिए जाने
वालों बाज़ार सहयोग का किस्म :

एजेंसी कच्चा माल, क्रेडिट फ्लो, बाज़ार सहयोग द्वारा या बोर्ड की योजनाओं
जैसे महिला कयर योजना, कयर उद्योग का आधुनिकीकरण एवं प्रौद्योगिकी, वित्तीय
सहायता, पी एम ई जी पी आदि बैंकों के साथ सुनिश्चित करने की पूरी जिम्मेदारी
लेती है।

प्राधिकृत सिगनेट्री गवाह

1. क्षेत्रीय अधिकारी /ई एस ओ, कयर

बोर्ड

अनुबंध-III

ई डी पी आयोजित करने के लिए विचारार्थ विषय

आयोजित एजेंसि का उत्तरदायित्व निम्न है:-

1. स्थानीय समाचार पत्र /अन्य माध्यम द्वारा प्रतिभागियों को ढूँढना ।
2. संबंधित क्षेत्रीय कार्यलयों आयोजित करनेवाली एजेंसी के साथ ई डी पी को आयोजित करने का जगह पहचानेगी, और कार्यक्रम के स्थान की जिम्मेदारी आयोजित की जानेवाली एजेंसी का होगा।
3. निम्नतम 50प्रतिभागी होनी चाहिए
4. ई डी पी के दौरान प्रतिभागियों के चाय, वर्किंग लंच और की व्यवस्था करनी होगी ।
5. आयोजन एजेंसी द्वारा मानदेय ,रहने की सुविधा आने जाने की सुविधा आदि दी जानी चाहिए ।
6. एजेंसी के प्रतिभागियों को अध्ययन सामग्री प्रदान करनी होगी।
7. बाकी अतिरिक्त खर्च एजेंसी /उम्मीदवार द्वारा वहन करना होगा और विस्तृत व्यय की ब्यौरा एजेंसी को प्रस्तुत की जानी चाहिए उम्मीदवार को चुनने के लिए जानकारी स्थानीय समाचार पत्र में दी जानेवाली समाचार को कयर बोर्ड के वेबसाइट में भी दी जाए एजेंसी विज्ञापन के प्रति को कयर बोर्ड को दें ।

सारे विषय कयर आधारित उद्योग को छोड़कर, बाहरी संकाय करता है कयर के संदर्भ में कयर बोर्ड संकाय प्रदान करेगा और कयर के व्यापार आधारित विशेषज्ञों से भी ली जा सकती है ।

के वी आई सी , एन एस आई सी , एमएसएमई आदि की योजनाएँ एवं (डी सी) कार्यक्रम बोर्ड द्वारा चलाए जा रहे ई डी पी में शामिल की जाए। इसके लिए एक उपयुक्त सत्र शामिल

कर कार्यक्रम तैयार किया जाए ।

एजेंसी को निम्नलिखित सफलता अनुपात रखना चाहिए

प्रतिभागी का आवेदन 150:

ई डी पी के लिए आवेदन की चयन %100 :

ई डी पी का हाज़िर पंजी निम्नतम उम्मीदवार %90:

अध्ययन दौरा %60 :

सफल उद्यमकर्ता %25:

ई डी पी दाम की %10भुगतान रिपोर्ट पूरा करने पर और उम्मीदवार द्वारा रेस्पांस शीट पूरा कर, उद्यमकर्ता को पहचानने के बाद किया जाएगा ।

अनुबंध-IV

कुशलता उन्नयन और महिला कयर योजना के तहत कार्यक्रमों का द्विभाजन

कयर बोर्ड द्वारा वांछित फील्ड स्तर के आधार पर घटक आधारित वित्तीय सीमाओं को विनियमित किया जा सकता है।

कार्यशाला

.1 कार्यशाला

क्रम सं	घटक	प्रायोगिक वित्तीय सीमा (में .रु)*
1	कार्यशाला आयोजित करने के लिए मीडिया के माध्यम से प्रचार आमंत्रणों का मुद्रण और कार्य आयोजित करना	2,500.00
2	आमंत्रणों का मुद्रण और कार्य आयोजित करना	5,000.00
3	लेखन सामग्री तकनीकी ,कार्यशाला सामग्री का मुद्रण , दस्तावेज आदि	6,000.00
4	जगहओडियो और वीडियो के लिए किराया ,	10,000.00
5	नए विकसित कयर उत्पादों और आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन	10,000.00
6	रिसोर्स वक्ताओं के लिए मानदेय	8,000.00
7	व्यक्तियों के 50 लिए चाय और लंच	5,000.00
8	कार्यशाला का दस्तावेज़ीकरण	3,500.00
	कुल	50,000.00

* मदवार पुनर्विनियोजन का सीलिंग 50,000-

2. संगोष्ठियाँ

क्रम सं	घटक	प्रायोजिक वित्तीय सीमा*
1	निमंत्रण पत्र, बैनर, फोटो, स्टेशनरी	12,000.00
2	हॉल, मेज,कुरसी, पी ए सिस्टम	25,000.00
3	संकाय सदस्य के लिए कमेजबानी एवं मानदेय	25,000.00
4	व्यक्तियों के लिए वर्किंग लंच 200, टी एवं स्नेक्स	35,000.00

5	सेमिनार किट जिसमें तकनीकी पेपर, कयर बोर्ड / एमएसएमई द्वारा कार्यावित्त /के वी आई सी योजना	25,000.00
6	महत्वपूर्ण समाचार पत्रों में प्रेस रिलीज	10,000.00
7	प्रचार एवं प्रेस मीट	15,000.00
8	प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का प्रदर्शन	40,000.00
9	संगोष्ठी आयोजित करने के लिए व्यावसायिक मूल्य	10,000.00
10	स्थानीय परिवहन	
	कुल	2,00,000.00

* मदवार पुनर्विनियोजन का सीलिंग 2,00,000-

.3 ई डी पी

क्रम सं	घटक	तात्कालिक वित्तीय सीमा)रु(*
1	स्थानीय समाचार द्वारा ई डी पी के लिए प्रतिभागियों का विज्ञापन	8,000.00
2	वर्किंग लंच, टी और रिफ्रेशमेंट रु 100/- प्रति व्यक्ति)3 दिन 50व्यक्ति के लिए(15,000.00
3	हॉल का भाडा 3दिनों के लिए	6,000.00
4	संदर्भ सामग्री तैयार करना, प्रिंटिंग स्टेशनरी आदि	10,000.00
5	फेक्लटी के लिए व्यय	8,000.00
6	फील्ड विजिट के लिए व्यय	10,000.00
7	विविध	3,000.00
		60,000.00

* मदवार पुनर्विनियोजन की सीलिंग -/60000

.4अध्ययन दौरा

.1अध्ययन दौरा के लिए खर्च 75, -/000प्रति दौरा तक सीमित है।

.2उपर्युक्त राशि में आने जाने का बस/रेलगाडी किराया, सेवा कर अन्य राज्यों का टोल टैक्स शामिल है।

3. अध्ययन दौरा को आयोजित करने के लिए कम से कम 20उद्यमकर्ता होने चाहिए ।

4. जहाँ तक उद्यमकर्ता की बात है , यात्रा भत्ता के दाम का %50जो कि द्वितीय श्रेणी रेलगाडी का है प्रतिपूर्ति किया जाएगा और कयर संसाधन गतिविधियों में लगे कारीगरों जो सहकारी समिति/स्वयं सहायक दल/एन जी ओ के तहत काम करते हैं और राज्य सरकार के द्वारा प्रायोजित हैं उन्हें वास्तविक खर्च का %90बोर्ड द्वारा प्रतिपूर्ति किया जाएगा । क्षेत्रीय कार्यालय /उप क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा सिफारिश के आधार पर राज्य सरकार एजेसियाँ /कयर औद्योगिक सहकारी समितियाँ को अध्ययन दौरा आयोजित करनी है।

.5बिल क्षेत्रीय अधिकारी /उप क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा सत्यपित की जानी चाहिए ताकि डी डी/चेक द्वारा पार्टों को भुगतान किया जा सके ।

.5अवबोध कार्यक्रम

क्रम सं	घटक	तात्कालिक वित्तीय सीमा
1	स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन	4,500.00
2	रीडिंग सामग्री, राइटिंग पेड, पेन आदि की मुद्रण	3,500.00
3	चाय, स्नैक्स, लंच)50*150(7,500.00
4	अतिथियों को स्वीकार करने के लिए स्थानीय परिवहन एवं मानदेय	5,000.00
5	दस्तावेजीकरण	1,000.00
6	हॉल का भाडा, कुरसियाँ एवं पी ए सिस्टम	4,500.00
	कुल	26,000.00

* मदवार पुनर्विनियोजन की सीलिंग -/26000

अनुबंध V

महिला कयर योजना के तहत कयर संसाधन उपकरण, मशीनरी /किट की सहायता पाने के लिए आवेदन

भाग(क)

1. आवेदक का नाम
2. अन्य विवरण
 - (i) जन्म तिथि
 - (ii) समूह : अनु जाति/जनजाति/ओ बी सी /अन्य
3. पत्र व्यवहार के लिए पता
पता :1
पता :2
पोस्ट : तालूक : गाँव:
राज्य: जिला : पिन कोड:
टेलीफोन नं:
4. पान कोर्ड/आधार नं :

भाग ख

1. किए गए प्रशिक्षण
 - (i) प्रशिक्षण का प्रकार
 - (ii) दिनांक/अवधि
 - (iii) क्रम सं और कयर बोर्ड से प्राप्त प्रमाण पत्र का दिनांक
 - (iv) कभी प्रशिक्षण बोर्ड के प्रशिक्षण केंद्र से है :हाँ/नहीं
 - (v) यदि नहीं; एफ टी सी और एन जी ओ प्रशिक्षण केलिए प्रायोजित है
2. खरीदने केलिए प्रस्तावित मशीनरी
3. मशीनरी निर्माण का पता
4. मशीनरी का दाम
(मशीन निर्माता का इनवाईस संलग्न करें)
5. लाभार्थी सहयोग के भुगतान का ब्यौरा :
 1. रेमिट की गई रकम

2. बैंक खाते का विवरण
 - (a) बैंक नाम व शाखा
 - (b) खाता संख्या(बैंक पास बुक प्रति संलग्न करें)
6. निर्माण करने के लिए प्रस्तावित चीजों का विवरण
7. क्या आपके इलाके में कचचामाल उपलब्ध है
8. क्या विद्युत कनेक्शन है
(बिल/इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड का कार्ड की प्रतिलिपि संलग्न करें)
9. क्या विपणन सुविधा है विवरण दें

स्थान
दिनांक

उम्मीदवार का नाम और
हस्ताक्षर